मुसीबत में तंबाकू का गुटखा

प्रमोद भार्गव

मध्यप्रदेश सरकार ने तंबाकू के पाउच की बिक्री पर रोक लगाकर एक साहसिक कदम उठाया है। 1 अप्रैल 2012 से तंबाकू के पाउच बेचने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

यदि वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण रिपोर्ट को सही मानें तो प्रदेश के सरकारी और निजी अस्पतालों में रोज़ाना 54 ऐसे मरीज़ आते हैं जो पाउच की लत पड़ जाने के कारण पूरा मुंह नहीं खोल पाते। इनमें से 20 फीसदी में जांच के बाद कैंसर हो जाने की पुष्टि हो जाती है। बाकी यदि तंबाकू खाना नहीं छोड़ते तो धीरे-धीरे कैंसर की चपेट में आ जाते हैं। मध्यप्रदेश में करीब 35 हज़ार लोग कैंसर पीड़ित हैं। इनमें से 18 हज़ार की उम्र 15 से 35 साल है। 36 से 50 उम्र के कैंसर पीड़ितों की संख्या 13 हज़ार 500 है।

एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में तीन करोड़ से भी ज़्यादा लोग तंबाकू खाते हैं। यदि ग्वालियर के कैंसर चिकित्सालय एवं शोध संस्थान के डॉक्टर बी.आर. श्रीवास्तव की बात मानें तो हर घंटे 90 लोग कैंसर की चपेट में आ रहे हैं। 48 प्रतिशत पुरुष और 20 प्रतिशत महिलाओं में केवल तंबाकू का गुटखा खाने की वजह से मुंह का कैंसर हो रहा है। मध्यप्रदेश के इस अनुकरणीय उदाहरण को देश के अन्य प्रदेश भी अपनाते हैं तो कैंसर की भयावहता से निजात मिल सकती है।

वैसे सुप्रीम कोर्ट मानव जीवन के लिए संकट बने

तंबाकू के पाउच पर बंदिशें लगाने की बार-बार पहल करता रहा है। कोर्ट की इस बाध्यकारी फटकार के चलते कुछ साल पहले कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात समेत कई राज्यों ने गुटखे की बिक्री बंद कर दी थी, लेकिन 8 हज़ार करोड़ के धंधे वाले इस उद्योग के मालिकों ने कानून में दिए विकल्पों के चलते इन प्रतिबंधों को ठेंगा दिखा दिया। मध्यप्रदेश में भी इन नियमों का सहारा लेकर उद्योगपति अदालत से स्थगन ले सकते हैं।

हालांकि कुछ समय पहले पाउच कारोबार को हतोत्साहित करने की दृष्टि से पर्यावरण और वन मंत्रालय ने एक बड़े व अहम फैसले के तहत गुटखा, तंबाकू और पान मसाले को भरने, पैक करने और पाउच में बेचने के लिए प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसके अलावा खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में एक मर्तबा प्रयोग में लाई गई प्लास्टिक थैलियों के दोबारा इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। इसे प्रभावी बनाने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पुनर्चक्रित प्लास्टिक (निर्माण और उपयोग) अधिनियम 1999 को बेअसर करते हुए उसके स्थान पर प्लास्टिक कचरा (प्रबंधन और रखरखाव) अधिनियम 2011 अधिसूचित कर दिया है।

अलबत्ता, इस नए कानून के अमल में आने के बावजूद अभी यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार और तंबाकू व्यापार से जुड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की निगाह में मानव सेहत के प्रति कोई जवाबदेही है। क्योंकि इस कानून में न तो बड़े पैमाने पर हो रही तंबाकू की खेती को हतोत्साहित करने के कोई उपाय किए गए हैं और न ही ऐसे शोधों पर अंकुश लगाने के कोई प्रावधान हैं जो धूम्रपान के खतरों को कम आंकते हों। प्लास्टिक के पाउच का विकल्प कागज़ अथवा अन्य सिंथेटिक पाउच के रूप में मिलने से तंबाकू की बिक्री रुक नहीं रही थी। इसकी बिक्री को प्रतिबंधित करके ही इसके दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है।

आज विकास के हर क्षेत्र में सेहत और विनाश की परवाह किए बिना व्यवसाय पर पड़ने वाले प्रभाव की चिंता ज़्यादा जताई जाती है। लिहाज़ा राज्य सरकारें ऐसे कानूनों पर अमल ही नहीं करती। वहीं उद्योगपति व्यापार प्रभावित हो जाने और व्यवसाय से जुड़े लोगों की बेरोज़गारी की दुहाई देने लगते हैं। तंबाकू व्यवसाइयों के ऐसे दबावों के चलते अब तक तंबाकू उत्पादों के पाउच और सिगरेट पैकेटों पर सचित्र चेतावनी छापी जाना शुरू नहीं हुई है। हालांकि सरकारी विज्ञापनों में ज़रूर तंबाकू के वीभत्स असर को दर्शाया जाने लगा है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक तंबाकू उत्पादों के सेवन से हर साल भारत में साठ हज़ार नए कैंसर रोगी सामने आते हैं। इनमें भी मुंह के कैंसर रोगियों की तादाद सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन राज्य सरकारें अपने नागरिकों की चिंता करने की बजाय उन व्यापारियों की फिक्र ज़्यादा करती नज़र आती हैं जो मुनाफे के लिए बीमारियों के उत्पाद बेचकर सरकार को भारी भरकम टैक्स चुकाते हैं।

देश में उदारवादी अर्थव्यवस्था लागू होने के बाद 1990-91 से तंबाकू गुटखा व पान मसाला एक रुपए और पचास पैसे के पाउचों में बेचने का सिलसिला शुरू हुआ था। खाने और रखने की सुविधा व जगह-जगह आसान उपलब्धता के चलते पाउच का व्यापार सातवें आसमान पर पहुंच गया। उद्योगपतियों के वारे-न्यारे हो गए। विज्ञापन कारोबार ने पाउचों की पहुंच युवा पीढ़ी और महिलाओं तक बना दी। तंबाकू व्यापार के इस विस्तार में अहम भूमिका पाउच की रही। क्योंकि इसे न सुरती की तरह चूना मिलाकर हथेली पर रगड़ने की ज़रूरत है और न ही सुपारी काटने का झंझट। जेब में छिपी पुड़िया निकाली और ज़हर की चुटकी भर फंकी मार ली। इसकी बिक्री के अनुपात में विकृत व घृणास्पद चेहरे वाले कैंसर रोगियों की संख्या भी बढ़ती चली गई। सेहत की इस हानि से सम्बंधित चित्र सिगरेट पैकेटों, बीड़ी के बण्डलों व तंबाकू के पाउचों पर छापने की सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की अब तक कमोबेश अनदेखी ही की गई है।

तंबाकू और धूम्रपान के खतरों से वाकिफ होने के बावजूद बहुराष्ट्रीय तंबाकू कंपनियां दुनिया के दिग्गज

वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों और समाज वैज्ञानिकों का एक ऐसा नेटवर्क तैयार करने में लगी हैं जो धूम्रपान की पैरवी कर रहे हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के साथ मिलकर एक अध्ययन कोलेरैडो के एन. लैण्डमैन ने छापा है। 80 लाख दस्तावेज़ों का यह संग्रह 'लीगेसी टोबेको डाक्युमेंट्स लायब्रेरी' में सुरक्षित है। इन दस्तावेज़ों में मनोवैज्ञानिक हैन्स आइसेन्क और दार्शनिक रॉजर स्क्रटन जैसे लोगों के पर्चे शामिल हैं। इन जैसे और भी कई दिग्गजों ने अपनी मंशा तंबाकू पर प्रतिबंध के खिलाफ जताई है। अर्थशास्त्रियों का कहना है तंबाकू पर रोक से कई देशों को आर्थिक हानि उठानी होगी। देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ेगा। एक दस्तावेज़ में दलील दी गई है कि धूम्रपान व शराब का सेवन सामाजिकता के लिए ज़रूरी है। लोग इससे परस्पर जुड़ते हैं। हैन्स आइसेन्क ने तो यहां तक दावा किया है कि तंबाकू से जुड़ी बीमारियां तंबाकू सेवन की बजाय वंशानुगत कारणों से पनपती हैं। रॉजर स्क्रटन ने तो *दी टाइम्स* में अपने एक आलेख में तर्क दिया कि धूम्रपान से जुड़े लोग स्वास्थ्य सेवाओं पर कम असर डालते हैं क्योंकि वे जल्दी मर जाते हैं। तंबाकू कंपनियां इन अमानवीय कुतर्कों की रचना के लिए इन बुद्धिजीवियों को करोड़ों डॉलर दे रही हैं।

भारत जैसे देश में पाउच की प्रकृति बदलने भर से इसके सेवन में कोई विशेष कमी नहीं आने वाली है। हकीकत में तंबाकू की खेती को हतोत्साहित कर इसे नेस्तानाबूद करने की ज़रूरत है। जबकि हमारे यहां हो उल्टा रहा है। तंबाकू का उत्पादन तो बढ़ ही रहा है, बीते कुछ सालों में तंबाकू की खेती के रकबे में भी आशातीत वृद्धि दर्ज़ की गई है। सिगरेट में इस्तेमाल होने वाली तंबाकू का बड़ा हिस्सा सिर्फ आंध्र प्रदेश में पैदा होता है जबकि शेष उत्पादन कर्नाटक में होता है। आंध्र प्रदेश में 2005-06 में तंबाकू का उत्पादन 145.36 लाख टन हुआ था, जबकि 2006-07 में यह बढ़कर 171.95 लाख टन हो गया। इसी तरह 2005-06 में तंबाकू की खेती का रकबा 17 हज़ार हैक्टर था जो 2007-08 में बढ़कर एक लाख 26 हज़ार हैक्टर हो गया। आंध्र और कर्नाटक के किसान तंबाकू की खेती से मालामाल हो रहे हैं। इसलिए जो किसान कपास व अन्य परंपरागत खेती में लगे थे वे भी अन्य किसानों की सुधरती माली हालत से प्रोत्साहित होकर तंबाकू की खेती करने लगे हैं। मगर जब तक तंबाकू की खेती को हतोत्साहित कर इसके उत्पादन पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा तब तक पूरे देश में धूम्रपान करने वाले लोगों की संख्या में कोई कमी आएगी ऐसा फिलहाल तो नहीं लगता। ***(स्रोत फीचर्स)***